भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 896

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपेज नीति

896. श्री इमरान मसूद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाहन स्क्रैपेज नीति एक त्रुटिपूर्ण नीति है, क्योंकि इसमें एक निश्चित आयु सीमा के बाद सभी वाहनों को समान रूप से स्क्रैप करने को अनिवार्य किया गया है, चाहे वे प्रदूषणकारी हों या गैर-प्रदूषणकारी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करने जा रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का वाहन स्क्रैपेज नीति का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों से आगे बढ़ाकर पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) जी नहीं। सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पूरे देश में पुराने, अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए परितंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करने हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन की प्रणाली शामिल है। इस नीति में पुराने वाहनों के कारण होने वाले वाहन प्रदूषण की चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है और वाहन की आयु पर ध्यान दिए बिना, अनफिट वाणिज्यिक और निजी वाहनों को उनकी फिटनेस के आधार पर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने की परिकल्पना की गई है।

सा.का.नि.29(अ),16 जनवरी 2023 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकारों (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किया जाना है।

इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) में, दिनांक 29.10.2018 के आदेश द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के परिवहन विभागों को निर्देश दिया गया कि एनजीटी के दिनांक 07.04.2015 के आदेश के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश केवल दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) पर लागू होता है, लेकिन स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरे देश में लागू है।

*****